



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20924

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2896 वर्ष 2026

विपिन गौतम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: हिमांशु मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 556/2025, धारा 191(2), 191(3), 103(1), 125 बी.एन.एस.,

पुलिस स्टेशन - जैत, जिला - मथुरा, में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत चाहता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक और अन्य आरोपी व्यक्ति मृतक के घर पर ईंट-पत्थर फेंकने की घटना में शामिल थे, जिसके कारण शिकायतकर्ता की बेटी की मृत्यु हो गई और शिकायतकर्ता की मां सरोज घायल हो गई। यह घटना 22.10.2025 को रात लगभग 10:30 बजे हुई थी।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। एफआईआर लगभग सात घंटे विलंबित है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सामान्य और व्यापक आरोप हैं, इसलिए यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि मृतक को लगी चोटों का जिम्मेदार कौन है। इसलिए, आवेदक जमानत का हकदार है। आगे यह तर्क दिया गया है कि समान रूप से दर्ज सह-आरोपी कपिल को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 9.1.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 45041/2025 में पारित आदेश द्वारा जमानत दी गई है। आवेदक की भूमिका सह-आरोपी की भूमिका से अलग नहीं है, इसलिए आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत का हकदार है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदक 17.12.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का विरोध किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. समान स्थिति वाले सह-आरोपी को पहले ही इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें, **दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 3 एससीसी 22** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक विपिन गौतम, जो मुकदमा अपराध संख्या 556/2025, धारा 191(2), 191(3), 103(1), 125 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - जैत, जिला - मथुरा में आरोपित हैं, को निजी मुचलके और दो भारी जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानतदार की राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो। निम्नलिखित शर्तों के अधीन। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसका उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v). आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

29 जनवरी 2026

एस एस

(न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।